

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: UPFS/2023/97017/MRT/MEERUT/1884/CFO

दिनांक: 04-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स RISHABH ACADEMY (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 215 A WESTEND ROAD, WESTEND ROAD MANDIR MARG, Meerut तहसील - Meerut Sadar, प्लॉट एरिया 7009.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 8060.36 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

| ब्लॉक/टावर | प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या | वेसमेंट की संख्या | ऊँचाई |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
| RISHABH ACADEMY | 2 | 0 | 7.35 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स RISHABH ACADEMY द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एनओबीओसीओ एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशामन अधिकारी द्वारा दिनांक 07-10-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MUKESH KUMAR E-Mail ID : rishabh.academy1992@gmail.com Mobile No. : 8439098882 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रथमतः भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओबीओसीओ की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-10-2023 से 06-10-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस घात के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए किग्याशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशामन व्यवस्थाओं में घायी गयी कभी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स RISHABH ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स RISHABH ACADEMY अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशामन अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या के आधार पर यह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अधिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशामन अधिकारी)



Digitally Signed By
(SANTOSH KUMAR RAI)

[F22C5B5172120F3EA70F310BACD3985B1170490E]

07-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-10-2023
स्थान : MEERUT